उत्तर प्रदेश शासन

संस्कृति विभाग

संख्या- 79 /2025/ 689 /चार-2025-1902981

लखनऊ: दिनांक: 28 फरवरी, 2025

<u>कार्यालय आदेश</u>

संस्कृति विभाग के द्वारा विभाग के अन्तर्गत एवं अन्य विभागों के द्वारा स्थापित कराये जा रहे प्रदेश के संत महात्माओ, पौराणिक, आध्यात्मिक पुरोधाओं, गुरुओं, महापुरुषों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं महानुभावों आदि की मूर्तियों के निर्माण/ स्थापना, म्यूरल, वाल पेन्टिग, शिल्प एवं कलात्मक अंलकरण एवं अन्य सौन्दर्यीकरण आदि का कार्य कराया जाता है। विशेषज्ञता के दृष्टिगत संस्कृति विभाग द्वारा उक्त कार्य विभाग के अन्तर्गत संचालित स्वायत्यशासी संस्था 'उ0प्र0 राज्य ललित कला अकादमी' के माध्यम से कराये जाने का निर्णय पूर्व में लिया गया था। इस कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु मूर्ति निर्माण/स्थापना हेतु संस्कृति अनुभाग के आदेश संख्या1007/चार-2021 दिनांक 16, जून 2021 के द्वारा एक समिति का गठन किया गया था।

2. शासन की विकेन्द्रीकरण नीति के तहत वित्त विभाग एवं एम.एस.एम.ई द्वारा निर्गत प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल-2016/ संगत शासनादेश में विभागों को स्वमेव क्रय व्यवस्था की अनुमति प्रदान करते हुए क्रय समिति गठित करने का अधिकार सीधे सम्बधित विभागाध्यक्षों केा/कार्यालयाध्यक्षों को दिया गया है।

3. सिविल निर्माण कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था नामित करने के संबंध में शासन के वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर आदेश निर्गत किये गये है। अभी तक राज्य ललित कला अकादमी को वित्त विभाग से कार्यदायी संस्था नामित नहीं है। अत: इसे सेंटेज प्राप्त किए जाने का भी अधिकार नहीं है |जिसके कारण अपने मूल कार्यों से इतर कार्य करने में समय व धन इसे अपने संसाधनों से व्यय करना होता है,जो ऑडिट आपत्ति की संभावना को आमंत्रण है| अत: शासकीय धन से शासकीय धन से मूर्तियों के निर्माण/ स्थापना, म्यूरल, शिल्प एवं कलात्मक अंलकरण एवं अन्य सौन्दर्यीकरण आदि के कार्यो को संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा ही किया जाना उचित है| संस्कृति विभाग में भी सरकारी धन का समुचित उपयोग व गुणवत्ता/तात्कालिकता/पर्यवेक्षण आदि के दृष्टिगत पूर्व में निर्गत मूर्ति निर्माण/स्थापना हेतु संस्कृति विभाग के आदेश संख्या-1007/चार-2021 दिनांक 16, जून 2021 को अवक्रमित कर बॉट आउट आइटम हेतु वित्त विभाग द्वारा अपनाई जा रही नीति एवं एम.एस.एम.ई द्वारा निर्गत प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल-2016 के सुसंगत शासनादेशों के अनुसार प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में निम्नानुसार समिति गठित की जाती है-

1	प्रमुख सचिव, संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	अध्यक्ष
2	संस्कृति निदेशालय के वित्त नियंत्रक/ लेखाधिकारी।	सदस्य
3	उ0प्र0 शासन द्वारा नामित लखनऊ विश्वविद्यालय के ललित कला विभाग के विशेषज्ञ आचार्य	सदस्य
4	निदेशक, राज्य ललित कला अकादमी, उ0प्र0, लखनऊ।	सदस्य
5	निदेशक, संस्कृति द्वारा नामित प्रतिनिधि/मूर्ति प्रभारी	सदस्य सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

3. संस्कृति विभाग से संबंधित प्रकरणों के संबंध में निविदा की कार्यवाही संस्कृति निदेशालय द्वारा की जायेगी। विशेषज्ञता राज्य ललित कला अकादमी द्वारा प्रदान की जायेगी।

4. मूर्ति संबंधी अत्यन्त विशिष्ट प्राथमिकता एवं समयबद्ध प्रकरणों पर शासन द्वारा दिये गये निर्देशानुसार ही कार्यवाही की जायेगी।

5. समिति के सदस्य -सचिव द्वारा मूर्ति निर्माण /स्थापना के अंतर्गत प्रभावी अनुश्रवण पत्राचारस्थल पर मूर्ति स्थापना आदि से संबंधित समस्त कार्य का सम्पादन किया जाएगा तथा समिति के निर्णयानुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव निदेशक संस्कृति के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जाएगा |

मुकेश कुमार मेश्राम
प्रमुख सचिव।

<u>सख्या व दिनांक तदैव-</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश शासन।
3. निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0।
4. वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0।
5. निजी सचिव, मा0 मंत्री, संस्कृति विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. निजी सचिव, प्रमुख सचिव/विशेष सचिव संस्कृति विभाग उ0प्र0 शासन।
7. निदेशक, उ0प्र0 राज्य ललित कला अकादमी।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।